लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462023
दूभाष क्र–0755–2583650 ईमेल–cpibhop@nic.in

क्रमांक / लो.शि.सं. / 2019 / 152 / 2616 भोपाल, दिनांकः–16 अगस्त 2019

प्रति,

श्री वी.के. सिंह, प्राचार्य
शास. उ.मा.वि. छोला
भोपाल म.प्र.।

विषयः–औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र।

––00––

दिनांक 10 अगस्त 2019 को संचालनालय द्वारा नियुक्त भोपाल जिले की ओ.आई.सी. डॉ. कामना आचार्य, अपर संचालक द्वारा शासकीय उ.मा.वि., छोला, भोपाल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में संस्था का संचालन संतोषजनक नहीं पाया गया एवं ब्रिज कोर्स के संचालन में निम्नानुसार अनियमितताऐं पायी गई :–

1. नियमित एवं ब्रिजकोर्स प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कक्षा 9वीं में ब्रिजकोर्स का अध्यापन का कार्य नहीं कराया जा रहा है। कक्षा 9वीं की ब्रिजकोर्स की कक्षाएँ अतिथि शिक्षकों को आवंटित की गई है।
2. अतिथि शिक्षकों द्वारा ही ब्रिजकोर्स की कक्षा 9वीं की विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिकाओं का वास्तविक मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन में केवल सही के निशान लगाये गये, गलतियों पर गोले नहीं लगाये गये, और न ही सुधारात्मक निर्देश दिये गये।
3. प्राचार्य द्वारा निर्देशानुसार निर्धारित 10 प्रतिशत विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका का परीक्षण नहीं किया गया।

आपका यह कृत्य अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता एवं गंभीर लापरवाही का घोतक है, जो कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–16 (चार) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है कि उक्त अनुशासनहीनता व कदाचरण के लिए क्यों न आपकी 2 वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से तत्काल रोकी जाए ? आप अपना उत्तर 7 दिवस के अन्दर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही की जायेगी।

(जयश्री कियावत) 16/8/19
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रं. / लो.शि.सं. / 2019 / 152 / 2611 भोपाल, दिनांकः–16 अगस्त 2019

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान. मंत्रीजी / राज्यमंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त राजस्व, भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि श्री वी.के. सिंह को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की अतिरिक्त प्रति भेजकर संबंधित को तामिल कराकर पावती संचालनालय को भिजवाएं।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.